वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
भर्ती और मूल्यांकन बोर्ड
(सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी एवेन्यू, नई दिल्ली - 110 012)
https://rab.csir.res.in/

विज्ञापन संख्या सीएसआईआर-आरएबी/01/2025 तारीख 01-01-2025

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तारीख: **17-02-2025 को प्रात: 10:00 बजे से**
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने/जमा करने की अंतिम तारीख: **22-03-2025 रात्रि 11:59 बजे तक**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान/एस एंड टी प्रबंधन करियर्स के लिए एक अनूठा अवसर

उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड और अपेक्षित अनुभव सहित प्रमाणित वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा उच्च स्तर की प्रेरणा वाले उत्साही, युवा भारतीय शोधकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वैज्ञानिकों के निम्नलिखित पदों की रिक्तियों को भरने के लिए अनुसंधान/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन को करियर के रूप में अपनाने की इच्छा रखते हों।

पदनाम	पदों की संख्या और आरक्षण	वेतन स्तर (7वें सीपीसी के अनुसार)	कुल परिलब्धियाँ (7वें सीपीसी के अनुसार)	ऊपरी आयु सीमा (विज्ञापन में उल्लिखित ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को) निम्न से से अधिक नहीं होनी चाहिए
वैज्ञानिक	कुल पदों की संख्या: 11 अआ-05 ईडब्ल्यूएस-01 अपिव (एनसीएल)-03 अजा-01 अजजा-01 [उपर्युक्त 11 पदों में से एक पद पीडब्ल्यूबीडी(एचएच) के लिए आरक्षित है]	स्तर 11	रू. 1,32,660/-* लगभग (मूल वेतन, डीए, एचआरए, टीए आदि सहित)	32** वर्ष

*कुल परिलब्धियों का अर्थ है क्लास 'X' शहर में मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), परिवहन भत्ता (टीए) आदि सहित वेतन स्तर के न्यूनतम पर अनुमानित कुल परिलब्धियाँ।
**कृपया छूट कॉलम के अंतर्गत आयु छूट देखें।

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर: अआ-अनारक्षित, अजा-अनुसूचित जाति,अजजा-अनुसूचित जनजाति, अपिव (एनसीएल)-अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), पीडब्ल्यूबीडी (एचएच)-बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (श्रवण विकलांग)।

विज्ञापित पदों का विवरण:

पद, पद कोड और श्रेणी#	अनिवार्य अर्हता	वांछनीय अर्हता और/या वांछनीय अनुभव	कार्य अपेक्षाएं/ विनिर्देश
वैज्ञानिक **पद कोड-**1 **अजा**	इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में बी.टेक या समकक्ष, बौद्धिक संपदा कानून में स्नातकोत्तर डिग्री (प्रथम श्रेणी या कुल पर 60% या समकक्ष जीपीए) या इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में एम.ई./एम.टेक या समकक्ष या इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में पी.एच.डी. इंजीनियरिंग (प्रस्तुत) या समकक्ष	बौद्धिक संपदा कानून/पेटेंट खोज/पेटेंट विश्लेषण/पेटेंट प्रारूपण/मार्केट डेटा विश्लेषण/मार्केट इंटेलिजेंस में अनुभव।	तकनीकी रूप से व्यवहार्य अनुसंधान एवं विकास/पेटेंट फाइलिंग/उत्पादों की बाजार स्थिति/प्रौद्योगिकियां/पेटेंटों और प्राइअर आर्ट विश्लेषण की सुविधा प्रदान करके सीएसआईआर को समर्थन प्रदान करना।
वैज्ञानिक **पद कोड –**2 **(कुल –**2 **पद)** **अआ**	सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान में एम.ई./एम.टेक या समकक्ष या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान या समकक्ष में पी.एच.डी. विज्ञान/इंजीनियरिंग (प्रस्तुत)	सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन/डेवलपमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्यूटर नेटवर्किंग में अनुभव आईसीटी क्षेत्रों जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सुरक्षा आदि में भारत सरकार की नीतियों/दिशानिर्देशों की अनुभव।	सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन/नेटवर्क सर्वर का रखरखाव/वेबसाइट/वीपीएन गेटवे, ई-मेल सुविधाएं और अन्य आईटी संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और अद्यतन। सॉफ्टवेयर विकास, डेटाबेस प्रबंधन, साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारत सरकार की नीतियों और दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन।
वैज्ञानिक **पद कोड-**3 **अपिव(एनसीएल)**	सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान में एम.ई./एम.टेक या समकक्ष या	एचटीएमएल/लिनक्स/ यूनिक्स इन्वायरन्मेटेस/जावा/जावा स्क्रिप्ट/एंगुलर जेएस/स्प्रिंग	सॉफ्टवेयर विकास और डेटा माइनिंग। विकासात्मक पहलुओं सहित विभिन्न स्थानों पर सभी टीकेडीएल

	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी /कंप्यूटर विज्ञान में पी.एच.डी. विज्ञान/इंजीनियरिंग (प्रस्तुत) या समकक्ष।	और हाइबरनेट फ्रेमवर्क/पोस्टग्रेस डेटाबेस/सीएसएस/आईडीई जैसे एक्लिप्स/एसक्यूएल/कोड वर्जनिंग टूल्स में अनुभव।	वेब अनुप्रयोगों और सर्वरों की सेटिंग और प्रबंधन।
वैज्ञानिक **पद कोड-4** **अपिव(एनसीएल)**	केमिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक/केमिकल साइंसेज में एम.एससी. या समकक्ष बौद्धिक संपदा कानून में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ (प्रथम श्रेणी या कुल पर 60% या समकक्ष जीपीए) या केमिकल इंजीनियरिंग/केमिकल साइंसेज में एम.ई./एम.टेक या समकक्ष या केमिकल (साइंसेज / इंजीनियरिंग) में पी.एच.डी. (प्रस्तुत) या समकक्ष	एससीआई प्रकाशनों/पेटेंटों द्वारा प्रमाणित अनिवार्य अर्हता के संबंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों में अनुसंधान या उद्योग का अनुभव। परियोजना नियोजन और प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन आदि में अनुभव।	अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन, परियोजना नियोजन, मॉनीटरिंग और प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग और सार्वजनिक-निजी-भागीदारी मोड सहित व्यापार विकास से संबंधित निष्पादन।
वैज्ञानिक **पद कोड - 5** **अआ**	केमिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक/केमिकल साइंसेज में एम.एससी या समकक्ष बौद्धिक संपदा कानून में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ (प्रथम श्रेणी या कुल पर 60% या समकक्ष जीपीए) या केमिकल इंजीनियरिंग/केमिकल साइंसेज में एम.ई./एम.टेक या समकक्ष या केमिकल (साइंसेज / इंजीनियरिंग) में पी.एच.डी. (प्रस्तुत) या समकक्ष	केमिकल टेक्नोलॉजीज के विकास/परिनियोजन में अनुभव केमिकल टेक्नोलॉजीज/केमिकल साइंसेज के क्षेत्र में परियोजना/प्रौद्योगिकी विकास और प्रबंधन को नियंत्रित करने में अनुभव।	प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन, उद्योगों/मंत्रालयों/एनजीओ/एसएचजी के साथ नेटवर्किंग, प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण/परिनियोजन।
वैज्ञानिक **पद कोड - 6** **अआ**	मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक या समकक्ष के साथ बौद्धिक संपदा कानून में स्नातकोत्तर डिग्री (प्रथम श्रेणी या कुल पर 60% या समकक्ष	बौद्धिक संपदा कानून / पेटेंट खोज/पेटेंट विश्लेषण/पेटेंट प्रारूपण/मार्केट डेटा	आईपी जांच, संरक्षण और प्रबंधन, आविष्कार प्रकटीकरण का विश्लेषण, आविष्कारकों के साथ परामर्श और चर्चा,

	जीपीए) या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एम.ई./एम.टेक या समकक्ष या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पी.एच.डी. इंजीनियरिंग (प्रस्तुत) या समकक्ष	विश्लेषण/मार्केट इंटेलिजेंस में अनुभव।	प्राइअर आर्ट खोज और उसका मूल्यांकन, प्रारूपण, फाइलिंग, पेटेंट आवेदनों का अभियोजन।
वैज्ञानिक **पद कोड-7** **ईडब्लूएस**	विज्ञान/इंजीनियरिंग के किसी भी क्षेत्र में पीएच.डी. (प्रस्तुत)	मान्यता प्राप्त संस्थान से मानव संसाधन प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समकक्ष क्षमता आवश्यकता विश्लेषण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों/मॉड्यूलों के विकास, मल्टीमीडिया पर सामग्री निर्माण में अनुभव	संगठन की क्षमता आवश्यकता विश्लेषण, क्षमता अंतराल का अभिनिर्धारण, उपयुक्त क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का डिजाइन और क्रियान्वयन।
वैज्ञानिक **पद कोड-8** **एसटी**	जीवन विज्ञान (लाइफ साइंसेज) में पीएच.डी. विज्ञान (प्रस्तुत) या समकक्ष	जीवन विज्ञान (लाइफ साइंसेज) और/या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन/विज्ञान नीति एवं प्रशासन में अनुसंधान अनुभव।	परियोजना समीक्षा एवं मॉनीटरिंग, रिपोर्ट तैयार करना तथा इस क्षेत्र में वैज्ञानिक गतिविधियों का समन्वय करना। फेलोशिप/शोध योजनाओं से संबंधित जानकारी संचालन करना तथा शोध समितियों द्वारा निर्णय लेने के लिए आवश्यक रिपोर्ट तैयार करना।
वैज्ञानिक **पद कोड-9** **अआ**	जीवन विज्ञान (लाइफ साइंसेज) में पीएच.डी. विज्ञान (प्रस्तुत) या समकक्ष	वैज्ञानिक प्रकाशनों से प्रमाणित तौर पर जीवन विज्ञान में अनुसंधान अनुभव। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन/नीति/प्रशासन का अनुभव।	विज्ञान प्रशासन और प्रबंधन, वैज्ञानिक भर्ती और मूल्यांकन प्रक्रियाओं का संचालन, अंतर-संगठनों/विशेषज्ञों के साथ समन्वय, वैज्ञानिक रिपोर्टों की समीक्षा और मूल्यांकन।
वैज्ञानिक **पद कोड-**10 **ओबीसी(एनसीएल**	केमिकल इंजीनियरिंग/मैटेरियल इंजीनियरिंग/विज्ञान में एम.ई./एम.टेक या समकक्ष या	एससीआई प्रकाशनों/पेटेंट द्वारा प्रमाणित तौर पर आवश्यक योग्यता के संबंधित क्षेत्र में	वित्तीय एवं अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन, परियोजना योजना, मॉनीटरिंग, मूल्यांकन और निष्पादन।

)	केमिकल इंजीनियरिंग/मैटेरियल इंजीनियरिंग में पी.एच.डी. इंजीनियरिंग (प्रस्तुत) या समकक्ष या केमिकल विज्ञान/मैटेरियल विज्ञान में पी.एच.डी. विज्ञान (प्रस्तुत) या समकक्ष	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों में उद्योग अनुभव या अनुसंधान अनुभव। परियोजना प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन में प्रमाणन।	

उपरोक्त 11 पदों में से एक पद पीडब्ल्यूबीडी(एचएच) के लिए आरक्षित है

सामान्य जानकारी एवं शर्तें

1. परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ:

क. इन पदों पर सामान्य भत्ते अर्थात महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), परिवहन भत्ता (टीए) आदि देय हैं, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य हैं और सीएसआईआर कर्मचारियों की तैनाती के स्थान पर लागू होते हैं। परिषद कर्मचारी भी सीएसआईआर आवास आवंटन नियमों के अनुसार आवास के हकदार हैं, जो उपलब्धता के अधीन है। यदि परिषद अथवा सरकारी आवास का उपयोग किया जाता है, तो एचआरए प्रदान नहीं किया जाएगा।

ख. प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए दर्शाए गए परिलब्धियों के अतिरिक्त, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत और बच्चों की शिक्षा भत्ते आदि जैसे लाभ भी सीएसआईआर/भारत सरकार के नियमों के अनुसार उपलब्ध हैं, जो परिषद कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

ग. चयनित अभ्यर्थियों को सीएसआईआर द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अपनाए गए निर्धारित अंशदान के आधार पर 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नेशनल पेंशन सिस्टम)' या एक्सटेंट पेंशन सिस्टम द्वारा शासित किया जाएगा।

घ. सीएसआईआर समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अनुसार, वैज्ञानिकों के लिए मूल्यांकन पदोन्नति योजना के अंतर्गत योग्य अभ्यर्थियों को करियर में उन्नति हेतु उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

ङ. योग्य अभ्यर्थियों के लिए सीएसआईआर भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन, चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि हेतु विचार किया जा सकता है।

च. सोसायटी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965, भारत सरकार द्वारा

तैयार किए गए मौलिक और अनुपूरक नियम तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अन्य नियम व आदेश उसी सीमा तक परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

छ. सभी पदों पर अखिल भारतीय सेवा दायित्व (एआईएसएल) लागू होगा, अर्थात चयनित होने पर उम्मीदवार को देश में कहीं भी सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।

2. **अन्य शर्तें:**

क. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

ख. सभी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख तक पद की अनिवार्य अपेक्षाओं और विज्ञापन में निर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनके पास उस पद के लिए अनिवार्य अर्हता/अनुभव है जिसके लिए वे अपना आवेदन जमा कर रहे हैं। पात्रता के सम्बन्ध में पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग. निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं/अनुभव न्यूनतम हैं और संबंधित पद कोड के सामने उल्लिखित क्षेत्र में होने चाहिए। निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं/अनुभव रखने मात्र से अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) करने के हेतु अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी। अत: आवेदकों को अपने आवेदन में निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त सभी प्रासंगिक जानकारियाँ, जो उचित दस्तावेजों द्वारा समर्थित हों, प्रदान करनी चाहिए। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जानकारियाँ पूर्ण और सटीक हों। पीएच.डी.(प्रस्तुत) के साथ पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अपने शोध प्रबंध को जमा करने की तारीख का वैध दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें। पीएच.डी./मास्टर्स डिग्री के पूरा होने को प्रोविजनल सर्टिफिकेट/परिणाम की अधिसूचना/जारी होने की तारीख, जैसा भी मामला हो, से माना जाएगा। अभ्यर्थियों को, जहां भी लागू हो, पीएच.डी. थीसिस/एम.टेक. शोध प्रबंध (डिज़र्टेशन) का एक पृष्ठ सारांश/सार अपलोड करना आवश्यक है।

घ. वर्तमान में सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत आवेदकों को अपने विभाग या कार्यालय को सूचित करना होगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) अपलोड करना होगा (संलग्न प्रारूप के अनुसार), अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

ङ. बिना विधिवत भरे या बिना अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अपलोड किए गए आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

च. अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग और चयन केवल ऑनलाइन आवेदन में दिए गए दस्तावेजों और जानकारी के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है या उसने आवेदन पत्र में गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत की है; चयन के बाद भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और सीएसआईआर ऐसी गलत/विसंगत जानकारी प्रस्तुत करने के फलस्वरूप होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अत: अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी सटीक एवं सही हों।

छ. यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में निर्दिष्ट अर्हता के बराबर अर्हता का दावा करता है, तो उसे एक आदेश/अधिसूचना या पत्र उपलब्ध कराना होगा जिसमें उस प्राधिकारी (संख्या और दिनांक सहित) का उल्लेख हो जो इस समतुल्यता को मान्यता देता है। ऐसे दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। अर्हता की समतुल्यता और विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता के संबंध में सीएसआईआर के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ज. किसी विषय/कार्य क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां भी निर्धारित हो, न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं को प्राप्त करने की तारीख के बाद गिनी जाएगी।

झ. यदि कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, तो आवेदन के साथ हिंदी या अंग्रेजी में स्व-सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

ञ. अधिकतम आयु सीमा, अर्हता और/अथवा अनुभव निर्धारित करने की तारीख ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तारीख होगी, अर्थात ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख होगी।

ट. भारत सरकार के अनुदेशों के अंतर्गत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयु सीमा में छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना लागू होगी कि पद उनके लिए आरक्षित है अथवा नहीं, बशर्ते कि पद बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया हो।

ठ. यदि कोई उम्मीदवार विदेश में रह रहा है, तो वह ऑनलाइन साक्षात्कार में शामिल होने का अनुरोध कर सकता है अथवा चयन समिति द्वारा उनकी उम्मीदवारी पर अनुपस्थिति में विचार किया जा सकता है। यह अनुरोध लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि, इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ड. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए और योग्य पाए गए केवल बाहरी अभ्यर्थियों को ही यात्रा के वास्तविक स्थान अथवा उनके निवास के सामान्य स्थान, जो भी साक्षात्कार स्थान के नजदीक हो, से आने-जाने के लिए एक व्यक्ति के द्वितीय श्रेणी रेल किराए का भुगतान किया जा सकता है, बशर्ते कि वह नियमों के अनुसार रेल टिकट/रेल टिकट संख्या या भारत के भीतर की गई यात्रा का कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करे। वे स्टेशन, जो रेल द्वारा जुड़े नहीं हैं, के बीच सड़क यात्रा के लिए दस्तावेजी प्रमाण (बस टिकट) प्रस्तुत करने पर वास्तविक बस किराया अथवा न्यूनतम दर पर रोड माइलेज की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, जैसा कि इस विषय पर भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार स्वीकृत है।

ढ. आवेदन में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों के बीच कोई भी विसंगति होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जब तक कि वैध दस्तावेजों/शपथपत्र द्वारा समर्थित न हो। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार को यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति भी नहीं मिलेगी।

ण. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, परीक्षा/साक्षात्कार के संचालन से संबंधित सभी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। उम्मीदवार की ओर से किसी भी व्यक्ति अथवा एजेंसी से इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

त. किसी भी रूप में प्रचार करना और/अथवा किसी भी प्रकार का राजनीतिक अथवा अन्य प्रभाव डालना पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

थ. प्रत्येक श्रेणी/पद के समक्ष दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अस्थाई है तथा चयन के समय इसमें परिवर्तन हो सकता है।

द. ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरी गई जन्मतिथि और मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा अथवा समकक्ष अंकतालिका/प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि को आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा और बाद में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र/अंकतालिका में जन्मतिथि उपलब्ध नहीं है, तो जन्मतिथि दर्शाने वाले स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा।

ध. नियुक्ति प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा यदि आवश्यक हो तो किसी अथवा सभी पदों को न भरने का निर्णय भी ले सकता है।

न. साक्षात्कार की तारीख, स्क्रीनिंग/चयन समितियों की सिफारिशें, उपयोग किए गए मानदंड, तथा इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी अन्य अपडेट, नोटिस, परिशिष्ट अथवा शुद्धिपत्र केवल सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को कोई व्यक्तिगत अधिसूचना नहीं भेजी जाएगी, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

प. चयनित उम्मीदवार पदभार ग्रहण करने की तारीख से एक निश्चित अवधि तक के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद, मौजूदा नियमों के अनुसार उनके स्थायीकरण के लिए विचार किया जाएगा।

फ. जहां पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में एक विशिष्ट क्षेत्र अथवा विषय की आवश्यकता होती है और यदि वह उम्मीदवार की अंकतालिका और/अथवा संबंधित विश्वविद्यालय से डिग्री प्रमाण पत्र से स्पष्ट नहीं होता है, तो अभ्यर्थियों को अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए वैध दस्तावेज प्रदान करने होंगे, अन्यथा, ऐसे दावों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।

ब. अभ्यर्थियों को यह बताना चाहिए कि क्या उनका कोई सगा/निकट संबंधी (सरकारी कर्मचारी के संबंध में पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, माता-पिता, भाई या बहन अथवा उनमें से किसी से रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे वे सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हों अथवा नहीं) सीएसआईआर अथवा सीएसआईआर की किसी अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थान/इकाई में कार्यरत है।

भ. इस विज्ञापन के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार की असंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

म. **किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।** ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट पर उल्लिखित हेल्पडेस्क संपर्क केवल आवेदन पत्र के ऑनलाइन जमा करने से संबंधित प्रचालन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए है।

3. <u>आयु सीमा एवं छूट:</u>

क. अजा [एससी] / अजजा [एसटी] के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष और अपिव[अपिव (एनसीएल)] के लिए 03 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो कि प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार, केवल उन मामलों के संबंध में होगी जहां पद/रिक्तियां संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं।

ख. अजा/अजजा/अपिव(एनसीएल) उम्मीदवार, जो अपने लिए आरक्षित न होने वाले पदों अर्थात अआ (अआ) पदों के लिए आवेदन करते हैं, वे आयु में छूट के पात्र नहीं होंगे और उनके चयन के संबंध में उन्हें सामान्य अभ्यर्थियों के बराबर माना जाएगा [हालांकि, ऐसे मामलों में अजा और अजजा अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क में छूट लागू है]।

ग. अजा/अजजा/अपिव (एनसीएल) के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ अपने प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी। यह प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए तथा ऐसे प्रमाण-पत्र को प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी, जैसे कि भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट एसडीओ, जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

घ. भारत सरकार (जीओआई) के पदों पर नियुक्ति के लिए अजा/अजजा/अपिव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए। अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र को भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नॉन-क्रीमी लेयर मानदंडों को भी पूरा करना होगा, न कि उन राज्य सरकार के आदेशों के संदर्भ में संघ के किसी भी राज्य में नियुक्ति के लिए।

ङ. अपिव अभ्यर्थियों के लिए पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध जातियों के आधार पर होगी, और उनकी उपजाति इस सूची की प्रविष्टियों से मेल खानी चाहिए; अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी और पात्र होने के उपरान्त भी उन्हें अआ (अआ) माना जाएगा। "क्रीमी लेयर" में अपिव उम्मीदवार अपिव श्रेणी हेतु उपलब्ध रियायतों के हकदार नहीं हैं और उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में दर्शानी होगी।

च. अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) के लिए अपने दावे के समर्थन में एक अतिरिक्त 'घोषणा पत्र' प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि वे तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर अपिव (क्रीमी लेयर) श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।

छ. अजा/अजजा/अपिव (एनसीएल)/पीडब्ल्यूबीडी/ईडब्ल्यूएस आदि अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रारूप में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, जिसे मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सके। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपेक्षित प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। हालांकि, विशिष्ट श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार के दावे को इस विषय पर भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

ज. विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में भी पांच वर्ष तक की छूट दी गई है। इसका तात्पर्य यह है कि अजा/अजजा श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों के लिए 5 वर्ष की आयु छूट सहित अधिकतम 10 वर्ष की छूट मिलेगी। इसी प्रकार, अपिव (एनसीएल) अभ्यर्थियों को अपिव (एनसीएल) श्रेणी के लिए 3 वर्ष की आयु छूट सहित

अधिकतम 8 वर्ष तक की छूट मिलेगी। यह छूट ऐसे विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ग्राह्य होगी, जिनकी तीन वर्ष की निरन्तर सेवा हो तथा जो उसी श्रेणी या सम्बद्ध संवर्ग के पदों पर कार्यरत हों तथा जहां यह संबंध स्थापित हो सके कि उस विशेष पद पर पहले से की गई सेवा उस पद के कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए उपयोगी होगी जिस पर भर्ती की जा रही है। इस संबंध में निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी के पास रहेगा।

झ. विभागीय उम्मीदवार की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करने वाले तथा इस पैरा के अंतर्गत आयु में छूट मांगने वाले उम्मीदवार को अपने नियोक्ता से कार्यालय के पत्र शीर्ष (लेटर हेड) पर विज्ञापन की तारीख के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह बताया गया हो कि वह नियमित रूप से नियुक्त है तथा अनियत/तदर्थ/दैनिक वेतन/प्रति घंटा भुगतान/अनुबंध आधार पर कर्मचारी नहीं है।

ञ. विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाओं, जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, के लिए अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष की छूट दी गई है, लेकिन शैक्षणिक अर्हता अथवा भर्ती की विधि में कोई छूट नहीं दी गई है (अजा/अजजा के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में 40 वर्ष तक)। इस उप-पैरा के अंतर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को निम्नांकित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे:

i) विधवा के मामले में, उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा यह शपथ पत्र कि उसने उसके बाद पुनर्विवाह नहीं किया है।

ii) तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से न्यायिक रूप से अलग हो चुकी महिलाओं के मामले में, तलाक अथवा न्यायिक अलगाव के तथ्य की पुष्टि करने हेतु उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, के साथ तलाकशुदा महिलाओं, जिन्होंने उसके बाद से पुनर्विवाह नहीं किया है, के संबंध में एक शपथ पत्र।

ट. भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निम्नांकित मानक दिव्यांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 (दस) वर्ष की छूट दी जाएगी [इसका तात्पर्य यह है कि अजा/अजजा श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 वर्ष की छूट मिलेगी जिसमें उनकी संबंधित श्रेणियों के लिए निर्धारित 5 वर्ष की छूट शामिल है। इसी प्रकार, अपिव अभ्यर्थियों को अधिकतम 13 वर्ष तक की छूट मिलेगी जिसमें अपिव श्रेणी के लिए निर्धारित 3 वर्ष की छूट शामिल है]: (i) श्रेणी ए - अंधापन और अल्प दृष्टि; (ii) श्रेणी बी - बधिर और सुनने में कठिनाई; (iii) श्रेणी सी - मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोगउपचारित, बौनापन, एसिड हमले के पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित चलने-फिरने में अक्षमता; (iv) श्रेणी डी - ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक रोग; (v) श्रेणी ई - खंड (ए) से (डी) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बधिरता/अंधापन सहित बहुदिव्यांगताएं।

ठ. दिव्यांग जनों के लिए आयु में छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना स्वीकार्य होगी कि पद दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित है अथवा नहीं, बशर्ते कि पद दिव्यांगता की प्रासंगिक श्रेणी के लिए उपयुक्त हो।

नोट: उपर्युक्त निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषा **"दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016**" के अनुसार होगी।

इस उप-पैरा के अंतर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्ति, जो प्रासंगिक बेंचमार्क दिव्यांगता के 40% से कम नहीं हैं, पदों के अंतर्गत शर्तों/आरक्षण में छूट के पात्र होंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) जिन्होंने छूट का लाभ उठाया है, उन्हें दिनांक 15.06.2017 के दिव्यांग जन अधिकार नियम, 2017 के अध्याय 7 के तहत नियम 18 (1) के फॉर्म V, VI और VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग जन अधिनियम 1995 (जिसे अब निरस्त कर दिया गया है) के अंतर्गत जारी दिव्यांगता के मौजूदा प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि तक के लिए वैध बने रहेंगे। किसी भी मामले में, इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति, चयन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रत्येक व्यक्तिगत समूह 'ए' पदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा योग्यता के मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने के अधीन होगी। उनके द्वारा कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है।

कृपया ध्यान दें, दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन में अपनी जाति/समुदाय जैसे कि अजा/अजजा/अपिव (एनसीएल)/सामान्य/ईडब्ल्यूएस का उल्लेख करना है और संबंधित जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना है क्योंकि यह एक क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण है। दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत एक उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए तभी योग्य माना जाएगा जब वह (नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) आवेदन किए गए पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करता पाया जाता है।

ड. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण से सम्बन्धित लाभ को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-इस्ट. (रेस.) और इस संबंध में लागू भारत सरकार के किन्हीं अन्य अनुदेशों के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के समय विनियमित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार द्वारा आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की महत्वपूर्ण/कट-ऑफ तारीख पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। महत्वपूर्ण/कट-ऑफ तारीख के बाद व पिछले वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ढ. इसके अतिरिक्त परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख

CSIR-INDIA
CSIR
The Innovation Engine of India

अगस्त, 2022 है, तो परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 होगा और प्रमाण पत्र 2022-2023 के लिए वैध होगा।

ण. अन्य कोई भी आयु छूट भारत सरकार/सीएसआईआर भर्ती नियमों के अनुसार लागू होगी।

त. सीएसआईआर के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार महानिदेशक, सीएसआईआर के पूर्व अनुमोदन से असाधारण मेधावी अभ्यर्थियों के मामले में निर्धारित सीमा से अधिक आयु, शैक्षिक अर्हता और/अथवा अनुभव में छूट पर विचार किया जा सकता है।

4. चयन का तरीका:

क. निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताओं को पूरा करने मात्र से ही उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची बनाने के लिए निम्नांकित में से किसी एक अथवा अधिक तरीकों से अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी:

- उच्च शैक्षणिक अर्हताओं के आधार पर।
- वांछनीय अर्हता और/अथवा संबंधित क्षेत्र में वांछनीय अनुभव के आधार पर अथवा विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम से अधिक होने पर।
- फाइल किए गए पेटेंट, एससीआई/पीयर रिव्यूड जर्नलों में प्रकाशन आदि के आधार पर।
- वैज्ञानिक जर्नल प्रकाशनों की गुणवत्ता, संख्या और लेखन (अर्थात प्रथम लेखक या सह-लेखक, संवाददाता लेखक आदि) के आधार पर।
- शोध प्रकाशन/पीएच.डी. थीसिस के विषय से निर्धारित अनुसंधान विशेषज्ञता/पीएचडी विषय के आधार पर।
- लिखित परीक्षा/सेमिनार के आधार पर।
- अनिवार्य अर्हता प्राप्त करने के बाद अनुभव की गणना करके।
- उन मामलों में भी अनुभव पर विचार किया जाएगा जहां अनिवार्य अर्हता (ईक्यू) या वांछनीय अर्हता (डीक्यू) के रूप में कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।
- स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य कार्यप्रणाली।

(अतः उम्मीदवार को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम निर्धारित अर्हता के अतिरिक्त अपनी सभी अर्हताओं और अनुभव का उल्लेख दस्तावेजों सहित करना चाहिए)।

ख. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पाद विकास/प्रौद्योगिकी नवाचार/टांस्लेशनल रिसर्च/एप्लाइड टेक्नोलॉजी आदि में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को उचित महत्व दिया जाएगा। तदनुसार, ऐसी उपलब्धियों का दावा करने वाले अभ्यर्थियों, यदि कोई हों, को सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में उनका (उपलब्धियों का) उल्लेख करना होगा।

5. आवेदन कैसे करें:

क. योग्य अभ्यर्थियों को वेबसाइट https://rab.csir.res.in पर जाकर या सीएसआईआर वेबसाइट https://rab.csir.res.in पर उपलब्ध लिंक "साइंटिस्ट्स" पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

ख. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए कृपया उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध "ऑनलाइन आवेदन कैसे करें" अनुदेश, "शुल्क भुगतान प्रक्रिया" और "आवेदन प्रतिकृति" देखें।

ग. आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर नीचे दिए गए है तीन अलग-अलग चरणों में प्रस्तुत किया जाना है:- i) पंजीकरण [ऑनलाइन] ii) शुल्क जमा करना [ऑनलाइन], यदि लागू हो । iii) ऑनलाइन आवेदन जमा करना ।

घ. यदि अभ्यर्थी के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक नई वैध ईमेल आईडी बनानी चाहिए तथा पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसे सक्रिय रखना चाहिए ।

ङ. आवेदन के उपर्युक्त चरणों की समय सीमाएं निम्नानुसार हैं:-

1. ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण/शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तारीख: 17-02-2025 प्रातः 10:00 बजे से
2. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख: 22-03-2025, रात्रि 11:59 बजे तक ।

च. अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध 'शुल्क भुगतान प्रक्रिया' के अनुसार 500/- रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा । अजा/अजजा/पीडब्ल्यूबीडी/महिला/भूतपूर्व सैनिक/ विदेश में निवास करने वाले अभ्यर्थी के लिए कोई शुल्क देय नहीं है, बशर्ते कि वे प्रासंगिक दस्तावेज़ अपलोड करें । निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा । ऐसी अस्वीकृति के खिलाफ़ किसी भी तरह के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

छ. अभ्यर्थी को अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्कैन किया हुआ रंगीन फोटोग्राफ, हस्ताक्षर प्रत्येक (अधिकतम आकार 50 केबी) तथा संबंधित प्रमाण पत्र (अधिकतम आकार 1 एमबी प्रत्येक) ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है ।

ज. जमा किए गए आवेदन वापस नहीं लिए जा सकते, और भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, भविष्य की परीक्षाओं या चयनों के लिए शुल्क को आरक्षित नहीं रखा जा सकता ।

झ. यदि बोर्ड, विश्वविद्यालय या संस्थान सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए/डीजीपीए/सीपीआई ग्रेड आदि प्रदान करता है, तो अभ्यर्थी को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा दिए गए फॉर्मूले का उपयोग करके इन्हें प्रतिशत में बदलना होगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा जारी रूपांतरण फॉर्मूले की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी । यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ रूपांतरण फॉर्मूला, यदि लागू है, जमा नहीं किया जाता है, तो आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा ।

ञ. प्रत्येक पदकोड के लिए प्रति अभ्यर्थी केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा । यदि कोई अभ्यर्थी अलग-अलग ईमेल पतों का उपयोग करके एक ही पदकोड के लिए कई ऑनलाइन आवेदन जमा करता है, तो केवल सबसे हाल ही में पूरे किए गए आवेदन पर ही विचार किया जाएगा । अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन का प्रिंट-आउट और किसी भी भुगतान विवरण की एक प्रति रखनी चाहिए, क्योंकि ये आवेदन की अंतिम तारीख के बाद उपलब्ध नहीं होंगे ।

ट. एक अभ्यर्थी कई पदकोड के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वे प्रत्येक व्यक्तिगत पदकोड के लिए सभी पात्रता मानदंड पूरा करते हों। हालाँकि, अभ्यर्थी को प्रत्येक पदकोडों के लिए अलग से अपेक्षित आवेदन शुल्क के साथ एक अलग आवेदन (प्राथमिक/पंजीकरण विवरण को छोड़कर) पूरा करना होगा।

ठ. अभ्यर्थी को अपना नाम, ईमेल पता और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। एक बार आवेदन पत्र पूरा हो जाने के बाद, अभ्यर्थी सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन को सत्यापित या एडिट कर सकते हैं कि यह सटीक और पूर्ण है। आवेदन को अंतिम रूप देने के बाद, अभ्यर्थी को आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक जमा करने के लिए ड्राफ्ट आवेदन पर 'सबमिट' पर क्लिक करना होगा और यदि लागू हो तो भुगतान विवरण अपडेट करना होगा। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, कोई और संशोधन या आशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट रखना महत्वपूर्ण है। आवेदन जमा करने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन की हार्ड कॉपी **नहीं** भेजनी चाहिए। उनसे उचित समय पर हार्ड कॉपी जमा करने का अनुरोध किया जाएगा।

ड. एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद, उसमें परिवर्तन या सुधार हेतु किसी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ढ. यदि कोई आवेदन या पंजीकरण फर्जी या मनगढ़ंत है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के नाम या फोटो का दुरुपयोग किया गया है, तो अभ्यर्थी और/या साइबर कैफे को उचित कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

ण. वर्तमान में सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/पीएसयू आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहे अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ अपने नियोक्ता से प्राप्त **'अनापत्ति प्रमाण पत्र'**(NOC) अपलोड करना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन अधूरा माना जाएगा।

त. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। इस विज्ञापन से संबंधित अनुशेष/शुद्धिपत्र और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://rab.csir.res.in देखें:

थ. अभ्यर्थियों को कोई अलग से व्यक्तिगत सूचना/जानकारी नहीं भेजी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।

द. अभ्यर्थियों को अलग से कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। सभी सूचनाएं और पत्र अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे।

द. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई कोई भी जानकारी अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगी। यदि प्रस्तुत की गई जानकारी या विवरण बाद में किसी भी चरण में गलत पाया जाता है, तो वे अभियोजन और सिविल परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे।

नोट: आवेदकों को अनुदेशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी को आगे की प्रक्रिया के लिए अंतिम माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के विधिमान्यकरण नियम और डिजाइन विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यकताओं पर आधारित हैं और इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और आवेदन पोर्टल पर "अनुदेश" खंड का संदर्भ लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि अभ्यर्थी विज्ञापन में बताई गई सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। आवेदन बाद की जांच के अधीन हैं और यदि बाद के चरणों में अयोग्यता पाई जाती है तो उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। आरक्षित पदों के लिए नियुक्तियाँ अनंतिम होंगी, उचित चैनलों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए लंबित होंगी। यदि सत्यापन से पता चलता है कि अभ्यर्थी का अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी स्थिति का दावा झूठा या गलत है, तो बिना कोई कारण बताए और आगे की कानूनी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना उनकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

6. **<u>ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए:</u>**

क. 500/- रुपये के आवेदन शुल्क (जहां लागू हो) के लिए ई-रसीद/लेनदेन संदर्भ (ट्रांजेक्शन रेफरेंस) की मुद्रित प्रति।

ख. उचित स्थान पर अपलोड किया गया नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ।

ग. उचित स्थान पर अपलोड किए गए अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

घ. नाम और जन्म तिथि के समर्थन में मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या समकक्ष अंकतालिका/जन्म तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र।

ङ. अभ्यर्थी/माता-पिता (यदि लागू हो) के नाम में परिवर्तन/नाम में विसंगति/नाम में भिन्नता के समर्थन में उपयुक्त प्राधिकारी से राजपत्र अधिसूचना/शपथ पत्र की प्रति।

च. अनिवार्य अर्हताओं और किसी उच्चतर अर्हता का समर्थन करने वाले शैक्षिक प्रमाण पत्र (पत्रों) और/अथवा अंकतालिका (अंकतालिकाओं) की प्रति।

छ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, जो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार (जीओआई) के निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया हो, यदि लागू हो।

ज. अपिव (गैर-क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों से 'घोषणा पत्र' की प्रति, जिसमें आवेदन में उनके दावे का समर्थन किया गया हो कि वे तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर अपिव (क्रीमी लेयर) श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।

झ. विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग हो चुकी महिलाओं के लिए उचित न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रति, तलाक या न्यायिक अलगाव की स्थिति को सत्यापित करने के लिए, यदि लागू हो। इसके अतिरिक्त, एक शपथ-पत्र जिसमें पुष्टि की गई हो कि ऐसे अभ्यर्थी ने पुनर्विवाह नहीं किया है।

ञ. आयु में छूट का दावा करने वाले विभागीय अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।

ट. अनुभव प्रमाण पत्र(पत्रों) की प्रति, यदि कोई हो।

ठ. सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) की प्रति।

CSIR
The Innovation Engine of India

ड. पीएच.डी. थीसिस/एम.टेक. शोध प्रबंध का एक पृष्ठ का सारांश/सार।

ढ. एससीआई/पीयर रिव्यूड जर्नल्स आदि में शोध प्रकाशनों की सूची, यदि लागू हो।

ण. आवेदन में किए गए दावे(दावों) के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो।

नोट 1: अपलोड किए गए दस्तावेज़ (दस्तावेजों)/प्रमाणपत्र सुपाठ्य होने चाहिए।

नोट 2: आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन अपूर्ण मानकर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगे।

नोट 3: अभ्यर्थियों को उचित समय पर मूल दस्तावेज तथा उनकी स्व-सत्यापित फोटोप्रतियां साथ लाने को कहा जाएगा।

नोट 4: पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, तथा परीक्षा/सेमिनार/साक्षात्कार/टेस्ट के आयोजन से संबंधित सभी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अभ्यर्थियों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

अस्वीकरण

चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी देने और/या प्रक्रिया का उल्लंघन करने के मामले सामने आने पर अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सीएसआईआर द्वारा दिए गए/दिए जाने वाले स्पष्टीकरण/निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

उप सचिव

सीएसआईआर-भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड

प्रमाणपत्रों के प्रारूप:

1. सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में वर्तमान कार्यरत अभ्यर्थी के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप।
2. आयु में छूट का दावा करने के लिए विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।
3. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।
4. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (जाति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र।

संलग्नक-I

वर्तमान में नियमित कर्मचारी के रूप में सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि में कार्यरत अभ्यर्थी के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप।

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र शीर्ष)

सं. .... **तारीख: [दिन/माह/वर्ष]**

विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] पर आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम], [पदनाम], इस विभाग/संगठन के स्थायी/नियमित कर्मचारी हैं तथा [कार्यभार ग्रहण तारीख] से [वर्तमान पद] के पद पर कार्यरत हैं।

इस विभाग/संगठन को तारीख [विज्ञापन तारीख] के विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] के तहत विज्ञापित पद [पद कोड/पद] के लिए उनके आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। इस विभाग/संगठन को डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का नाम] के चयन प्रक्रिया में भाग लेने या नए पद पर उपर्युक्त नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] वर्तमान में लागू आचरण नियमों के अंतर्गत किसी दंड का सामना नहीं कर रहे हैं और डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] न तो निलंबित हैं, न ही इस प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख तक उनके खिलाफ कोई सतर्कता, अनुशासनात्मक या आपराधिक मामला लंबित है।

यह प्रमाण-पत्र उक्त विज्ञापन पर आवेदन करने के प्रयोजनार्थ आवेदक के अनुरोध पर जारी किया जाता है।

स्थान: ....

कृते [विभाग/संगठन का नाम],

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]
[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम]
[जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]
[आधिकारिक मुहर/स्टाम्प]
[संपर्क जानकारी]
[विभाग/संगठन का पता]

CSIR
The Innovation Engine of India

संलग्नक-II

<u>आयु में छूट का दावा करने के लिए विभागीय अभ्यर्थियों कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप</u>

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र शीर्ष)

सं. .... **तारीख:**[दिन/माह/वर्ष]

<u>विज्ञापन संख्या के लिए आवेदन करने के लिए आयु में छूट का दावा करने हेतु प्रमाण पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री. ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... (संस्थान का नाम) का नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी है और इस अवधि(इन अवधियों) के दौरान इनके द्वारा किए गए कार्य निम्नानुसार हैं:

(i) ....
(ii) ....
(iii)

प्रमाणित किया जाता है कि:

*(क) डॉ./श्री/सुश्री.. ....(संस्थान का नाम) में ....से ....तक मूलत: स्थायी पद पर हैं।

अथवा

*(ख) डॉ./श्री/सुश्री .... तारीख ....से ....तक ....(संस्थान का नाम) में ....के पद पर नियमित आधार पर लगातार अस्थायी सेवा में रहे हैं।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

स्थान: ....

कृते [संस्थान का नाम],

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]

[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम]

[जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]

[आधिकारिक मुहर/स्टाम्प]

विज्ञापन संख्या सीएसआईआर-आरएबी/01/2025

संलग्नक-III

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*………………………………. पुत्र/पुत्री*…………………………………….गांव/शहर*………………..जिला/संभाग*……………………..राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*………………………………..की ………………………… जाति/जनजाति* से संबंधित है जिसे निम्नांकित के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

@ संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (आशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, I 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित ।]

@ संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

@ संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित

@ संविधान (दादर और नगर हवेली ii) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@ संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

@, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

@ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@ संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

@ संविधान (अजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@ संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991

@ संविधान (अजजा) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991

@ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007

% 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे में प्रवास कर गए हैं,

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*……………………………………………के पिता/माता श्री/श्रीमती*……………………………………………
गांव/कस्बा*/क्षेत्र**………………..जिला/मंडल*…………………..राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*…………………… जो उस जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है, को तारीख…………………………………को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी*……………………………………………और/या* उनका* परिवार सामान्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के ……………………….जिला/संभाग* के गांव/कस्बे*…………………….में रहते/रहती है।

हस्ताक्षर……………………………………..
**पदनाम………………………………………
(कार्यालय की मुहर के साथ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

स्थान:…………………………..
तारीख:…………………………..

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।
@ कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश उद्धृत करें।
% वह पैराग्राफ हटा दें जो लागू नहीं है

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द “सामान्यतः निवास करते हैं” का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से कम का न हो)।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के रैंक से कम का न हो।
(iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है
(v) प्रशासक/प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

नोट:
तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी से जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

संलग्नक-IV

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ____________पुत्र/पुत्री ____________गांव/कस्बा ____________जिला/मंडल में _______________ जाति से संबंधित हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तारीख ______________________* के संकल्प संख्या _______________________________ के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और/या उनका परिवार सामान्यतः _______________राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के _______________जिला/मंडल में रहता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तारीख 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी), तारीख 9 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण), तारीख 14 अक्टूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) और तारीख 27 मई, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (आरक्षण) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।**

हस्ताक्षर___________________

पदनाम_________________________$

तारीख:
मुहर

$

* यह प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति अपिव के रूप में बताई गई है।
** समय-समय पर यथा संशोधित।

$ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों वाली होगी।
नोट: - यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

CSIR
The Innovation Engine of India

संलग्नक-V

'अन्य पिछड़ा वर्ग' के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र
(जाति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)

मैं _________________________________ पुत्र/पुत्री श्री _______________________ निवासी गांव/कस्बा/शहर_____________________ जिला______________________ राज्य_______________________ एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ________________________ जाति से हूं, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तारीख 8-9-1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36102/22/93-स्था.(एससीटी) में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं तारीख 8-9-1993 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन, तारीख 9 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) और तारीख 14 अक्टूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे माता-पिता/अभिभावक की क्रीमी लेयर के लिए स्थिति/वार्षिक आय की शर्त आवेदन की अंतिम तारीख तक निर्धारित सीमा के भीतर है।

हस्ताक्षर______________________________

पूरा नाम______________________________

पता______________________________

स्थान: __________________________

तारीख: __________________________

संलग्नक-VI

... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या .... **तारीख: ....**

वर्ष .... के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... गांव/गली, डाकघर, क्षेत्र .... पिन कोड .... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटो नीचे प्रमाणित किया गया है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, क्योंकि उनके परिवार की सकल वार्षिक आय* वित्त वर्ष .... के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है या उसके पास नहीं है:

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;

II. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट

III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति से संबंधित हैं। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर.........................

नाम.........................

पदनाम.........................

आवेदक का पासपोर्ट आकार का सत्यापित नवीनतम फोटो

*नोट 1: आय में सभी स्रोत जैसे वेतन, कृषि, व्यापार, पेशा, आदि शामिल हैं,।

**नोट 2: इस प्रयोनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन और साथ ही उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के उसके बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक 'परिवार' द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में की संपत्ति को जोड़ा गया है।